



Ref: GCPL/SBZ/EG-RANIGANJ/1922

Date: 09 FEB 2025

सेवा में,

अधिकाारी अभियन्ता,
पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम लि०,
विद्युत वितरण खण्ड-रानीगंज,
जनपद-प्रतापगढ़।
E-mail- xen.raniganj@puvvn.in

ई-मेल द्वारा प्रेषित


विषय- ई०सी० वाद सं०-10/2023 रेखा गुप्ता पत्नी विवेक कुमार गुप्ता बनाम अधीक्षण अभियन्ता पू०वि०वि०नि०लि०, वि०वि०मं० प्रतापगढ़ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 03-12-2023 के अनुपालन में निर्देशित धनराशि व ब्याज की वसूली के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक सं०-230/वि०वि०खं०रा०प्रता०/कोर्ट केश दिनांक 21-01-2025 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो अपर जिलाधिकारी (भूराजस्व), जनपद-प्रतापगढ़ को सम्बोधित व हमारी फर्म का पृष्ठांकित है, के सन्दर्भ में सादर संज्ञानित कराना है कि विवेक कुमार गुप्ता नाम का कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा वि०वि०खं० रानीगंज, प्रतापगढ़ के क्षेत्राधीन किसी भी 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र पर कभी भी नियोजित नहीं किया गया था। एतएव इनकी दुर्घटना क्षतिपूर्ति की भुगतान हेतु हमारे फर्म की कोई भूमिका नहीं है।

अतः महोदय से सादर अनुरोध है कि उक्त प्रकरण के क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु हमारे बीजक से किसी प्रकार का समायोजन न्यायोचित नहीं होगा। यदि उक्त धनराशि का समायोजन हमारे बीजक से की जाती है तो न्यायालय के शरण में जाना हमारी बाध्यता होगी।

भवदीय


(दुर्गेश शाही)
अधिकृत हस्ताक्षरी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ई-मेल द्वारा प्रेषित।

1. मा० न्यायालय, आयुक्त कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम-1923 एवं सहायक श्रमायुक्त, प्रतापगढ़।
2. जिलाधिकारी महोदय, प्रतापगढ़।
3. अपर जिलाधिकारी महोदय (भूराजस्व), प्रतापगढ़।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
5. मुख्य अभियन्ता (वि०), द्वितीय प्रयागराज क्षेत्र, प्रयागराज।
6. अधीक्षण अभियन्ता (प्रशा०), पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।
7. अधीक्षण अभियन्ता, वि०वि०मं० प्रतापगढ़।
8. कार्मिक अधिकारी, पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी।

भवदीय

(दुर्गेश शाही)
अधिकृत हस्ताक्षरी

Work Discipline Only Key Of Success!